हनीट्रैप : कारोबारी को अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल करने वाला दिल्ली से गिरफ्तार

महेश नगर पुलिस ने करोड़ों रु. की उगाही करने वाले इस अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। महेश नगर पुलिस ने अश्लील फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए की उगाही करने वाले अंतरराज्यीय हनी ट्रैप गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला दिशा बाबला के सहयोगी धीरज कुमार को नई दिल्ली के द्वारका क्षेत्र से गिरफ्तार कर जयपुर लाया है। मामले में मुख्य आरोपी दिशा बाबला को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है।

आरोपी धीरज कुमार

- **इस मामले में मुख्य आरोपी दिशा बाबला को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी**

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि 29 अप्रैल 2026 को कारोबारी विमल कुमार डागा ने महेश नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवादी ने आरोप लगाया कि एक महिला आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उससे भारी रकम की मांग कर रही है। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।जांच में सामने आया कि आरोपी महिला कुछ समय पहले परिवादी की आईटी कंपनी में इंटर्नशिप के बहाने जुड़ी थी। इस दौरान उसने नजदीकियां बढ़ाकर निजी फोटो और वीडियो हासिल कर लिए। बाद में इन्हीं फोटो-वीडियो को कार्यालय के कर्मचारियों और परिचितों को भेजने की धमकी देकर रंगदारी मांगने लगी।

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ललित किशोर शर्मा के सुपरविजन और सहायक पुलिस आयुक्त (सोडाला) सुनील प्रसाद शर्मा के निर्देशन में महेश नगर थानाधिकारी सुरेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। साइबर सेल की तकनीकी सहायता और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दिल्ली में दबिश देकर सह-अभियुक्त धीरज कुमार (35) निवासी शाहाबाद अपार्टमेंट, सेक्टर-13, द्वारका, नई दिल्ली को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार धीरज कुमार गिरोह की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। आशंका है कि वह ब्लैकमेलिंग से प्राप्त रकम के लेनदेन और तकनीकी संचालन में शामिल था। पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन, बैंक खातों और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि जांच में जयपुर और दिल्ली के कई अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकता है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जा रहा है, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और उगाही के नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

राजस्थान में बढ़ा ''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'' का ग्राफ

एक माह में 6103 निवेश आवेदनों को मंजूरी मिली

जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को मजबूत बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास लगातार सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। 'डी-रेग्यूलेशन फेज-1' के तहत प्रदेश में निवेश प्रक्रियाओं के सरलीकरण और समयबद्ध स्वीकृतियों से राजस्थान निवेशकों के लिए तेजी से पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है।

मुख्य सचिव कार्यालय के अधीन गठित 'डिरेगुलेशन सेल' द्वारा जारी अप्रैल की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज निवेश पोर्टल पर प्राप्त 9 हजार 10 आवेदनों में से 6 हजार 103 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। इस प्रकार प्रदेश की कुल स्वीकृति दर 67.7 प्रतिशत रही है। रिपोर्ट के अनुसार राजधानी जयपुर का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, जहां सबसे अधिक 1 हजार 351 आवेदनों को मंजूरी दी गई।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निवेश संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, आवेदनों के त्वरित निस्तारण और उद्योगों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 'इंवेस्टर फ्रेंडली एप्रोच' और विकेंद्रीकृत क्रियान्वयन के कारण छोटे जिलों में भी निवेश प्रस्तावों के निस्तारण में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय के अंतर्गत गठित डिरेगुलेशन सेल द्वारा प्रत्येक माह निवेश प्रस्तावों की समीक्षा कर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिससे विभागीय जवाबदेही और कार्यक्षमता दोनों में सुधार हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में जयपुर जिले में सबसे अधिक 1 हजार 932 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1 हजार 351 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा जोधपुर, सीकर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू और भीलवाड़ा जैसे औद्योगिक और शहरी जिलों ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

स्वीकृति दर के मामले में कोटा और हनुमानगढ़ ने विशेष उपलब्धि हासिल की। कोटा में 83.8 प्रतिशत और हनुमानगढ़ में 82.5 प्रतिशत आवेदनों को मंजूरी मिली। वहीं बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, उदयपुर और जालोर जिलों में भी 70 प्रतिशत से अधिक स्वीकृति दर रही। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि राजस्थान में पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ नए और उभरते सेक्टर्स में भी निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ रही है। अप्रैल माह में आयुष, एग्रो-प्रोसेसिंग, रक्षा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में विभिन्न जिलों से निवेश आवेदन प्राप्त हुए। सेक्टरवार विश्लेषण में पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

जयपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद और सीकर सहित कई जिलों में होटल, रिसॉर्ट और पर्यटन आधारित परियोजनाओं में निवेश रुचि देखने को मिली। इसके अलावा अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ में इंजीनियरिंग सेक्टर, विभिन्न जिलों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, अजमेर और भीलवाड़ा में वेस्ट मैनेजमेंट तथा जोधपुर में टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश प्रस्तावों ने भी गति पकड़ी है। राज्य सरकार का मानना है कि 'डी-रेग्यूलेशन फेज-1' के माध्यम से उद्योगों और निवेशकों को बेहतर माहौल प्रदान कर राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी निवेश राज्य बनाया जा सकता है। प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, ऑनलाइन स्वीकृति व्यवस्था और त्वरित निर्णय प्रणाली से उद्योग जगत का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। सरकार अब निवेश स्वीकृति की प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं डिजिटल बनाने की दिशा में भी काम कर रही है, ताकि प्रदेश में रोजगार, औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल सके।

सी.एन.जी. सिलेंडरों से भरा ट्रेलर पलटा

जयपुर। बिंदायका थाना क्षेत्र के सिरसी रोड स्थित निमेड़ा गांव में शनिवार अलसुबह बड़ा हादसा हो गया। टोरेंट सीएनजी गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें लदे 10 से अधिक सिलेंडरों से गैस का रिसाव शुरू हो गया। गैस रिसाव की सूचना फैलते ही आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। प्रशासन, पुलिस, दमकल विभाग और गैस कंपनी की तकनीकी टीमों की तत्परता से संभावित बड़ा हादसा टल गया।

थानाधिकारी विनोद वर्मा ने बताया कि सीएनजी गैस सिलेंडरों से भरा ट्रेलर बिंदायका स्थित पंप से भांकरोटा की ओर जा रहा था। शनिवार सुबह करीब पांच बजे निमेड़ा गांव के पास चालक को अचानक झपकी आने से ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे लगे पोल से टकराकर पलट गया। हादसे में चालक घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर पलटते ही कई सिलेंडरों से तेज आवाज के साथ गैस का रिसाव शुरू हो गया। गैस की गंध फैलने पर आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि गैस रिसाव के बावजूद किसी प्रकार की आग नहीं लगी। सूचना मिलते ही बिंदायका फायर स्टेशन से तीन दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। साथ ही टोरेंट गैस कंपनी के तकनीकी अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर रिसाव वाले सिलेंडरों को आबादी क्षेत्र से दूर किया गया। बाद में क्रेन की सहायता से ट्रेलर को सीधा करवाया गया और तकनीकी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गैस रिसाव को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम डॉ. खुशबू शर्मा और थानाधिकारी विनोद वर्मा मौके पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी की। एहतियात के तौर पर पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में आमजन की आवाजाही रोक दी।

किसी भाषा की जानकारी नहीं होने के आधार पर नार्को टेस्ट से नहीं किया जा सकता इंकार : हाईकोर्ट

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या से जुड़े मामले में कहा है कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि प्राधिकारी ने इस आधार पर नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया कि संबंधित व्यक्ति को हिंदी धाराप्रवाह नहीं आती है। अदालत ने मामले में पुलिस की ओर से पेश एफआर को स्वीकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया है।

अदालत ने कहा कि मामले की जांच डिप्टी स्तर के अधिकारी से कराए जाए और वह जरूरत पडने पर नार्काे टेस्ट सहित जांच करते हुए जांच रिपोर्ट निचली अदालत ने पेश करे। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश फेलीराम की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि नार्को टेस्ट के लिए फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, एनेस्थिसियोलॉजिस्ट, सामान्य चिकित्सक और मनोचिकित्सक के साथ जरूरत होने पर दुभाषिया को शामिल किया जा सकता है। केवल भाषा नहीं बोलने के चलते नार्काे टेस्ट करने से मना नहीं किया जा सकता।

याचिका में अधिवक्ता गौरव शर्मा ने बताया की याचिकाकर्ता ने अपने भाई की हत्या को लेकर साल 2015 में दौसा के रामगढ पचवाडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें जांच अधिकारी ने लचर जांच करते हुए एफआर पेश कर दी और निचली अदालत ने 23 सितंबर, 2022 को उसे स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया कि जांच के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने याचिकाकर्ता का नार्को टेस्ट करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था और याचिकाकर्ता ने भी अपनी सहमति दे दी थी। इसके बावजूद संबंधित प्राधिकारी ने यह कहते हुए टेस्ट करने से इनकार कर दिया कि टेस्ट के दौरान यह सामने आया कि याचिकाकर्ता धाराप्रवाह हिंदी नहीं बोल सकता है। याचिका में कहा गया कि वह अभी भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार है।

ऐसे में मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दिए जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यदि अदालत जांच के आदेश देती है कि नया जांच अधिकारी नियुक्त कर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए मामले में अग्रिम जांच के आदेश दिए हैं।

भट्टी में झोंका 2 करोड़ से अधिक का नशा

जयपुर पुलिस ने नष्ट किया 384 किलो गांजा और स्मैक

जयपुर। नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2.01 करोड़ रुपए मूल्य के अवैध मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया। जयपुर दक्षिण जिला पुलिस ने विभिन्न मामलों में जब्त किए गए 384 किलो से अधिक गांजा और स्मैक को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत औषधि व्ययन समिति की निगरानी में भट्टी में जलवाकर नष्ट कराया।

पुलिस उपायुक्त (जयपुर दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि जिले के विभिन्न थानों में दर्ज एनडीपीएस मामलों में जब्त मादक पदार्थ लंबे समय से मालखानों में जमा थे। एनडीपीएस एक्ट की धारा 52ए के तहत गठित औषधि व्ययन समिति द्वारा मामलों का परीक्षण कर नष्ट योग्य मादक पदार्थों का चयन किया गया। इसके बाद विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए विशेष अभियान चलाकर उन्हें नष्ट किया गया।

इस कार्रवाई में महेश नगर, श्याम नगर, सोडाला, मानसरोवर, शिप्रापथ, मुहाना, चाकसू, सांगानेर और सांगानेर सदर थानों में जब्त मादक पदार्थ शामिल थे। पुलिस के अनुसार कुल 384 किलो 894 ग्राम गांजा और 45 ग्राम स्मैक नष्ट की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 2 करोड़ 1 लाख 44 हजार 700 रुपए आंकी गई है।

मादक पदार्थों के नष्टीकरण की प्रक्रिया निर्धारित इंसिनरेटर प्लांट में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय मानकों की पालना करते हुए पूरी की गई। कार्रवाई के दौरान औषधि व्ययन समिति के सदस्य, पुलिस अधिकारी तथा संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशीले पदार्थों के नष्टीकरण से न केवल मालखानों में लंबित सामग्री का सुरक्षित निपटान हुआ है, बल्कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त संदेश भी गया है। जयपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

ईएसआईसी शाखा प्रबंधक 10 हजार की घूस लेते पकड़ा

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की स्पेशल यूनिट उदयपुर ने कार्रवाई करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) चित्तौड़गढ़ शाखा की शाखा प्रबंधक संदीपा वोहरा को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह एक कर्मचारी के मेडिकल बिलों और मेडिकल लीव के भुगतान को मंजूरी देने के बदले रिश्वत मांग रही थी।

एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता के अनुसार हिन्दुस्तान जिंक, चंदेरिया में कार्यरत एल एंड टी कंपनी के एक कर्मचारी को अगस्त 2025 में ड्यूटी के दौरान लकवा हो गया था। कर्मचारी के मेडिकल बिलों और अवकाश भुगतान की फाइल पास करने के एवज में शाखा प्रबंधक संदीपा वोहरा ने परिवादी के रिश्तेदार तथा एल एंड टी कंपनी के एचआर मैनेजर से 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत में यह भी सामने आया कि पूर्व में विभिन्न कर्मचारियों के क्लेम पास करने के नाम पर करीब 40 हजार रुपए रिश्वत के रूप में लिए जा चुके थे। सूचना मिलने पर एसीबी ने उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में कार्रवाई शुरू की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव जोशी के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण डांगी ने 29 मई को रिश्वत मांग के सत्यापन की कार्रवाई की। सत्यापन के दौरान संदीपा वोहरा द्वारा कर्मचारी दिनेश कुमार गाडरी के मेडिकल बिल और मेडिकल लीव भुगतान के बदले 10 हजार रुपए मांगना प्रमाणित हो गया।

सार-समाचार

नाहरगढ़ कुंड-बावड़ी की साफ-सफाई

जयपुर। फैडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) और राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय 'नाहरगढ़ कुंड एवं बावड़ी सफाई अभियान' की शुरूआत हुई। यह अभियान बावड़ी बाईसा के सहयोग से आयोजित किया गया। इस पहल को होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, इंडिया हैरिटेज कलेक्टिव, कर्तव्य, पुनर वेस्ट मैनेजमेंट, होटल फैडरेशन ऑफ राजस्थान सहित राज्य की अन्य संस्थाओं का भी समर्थन मिला। अभियान में बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स, युवा, पर्यटन एवं विरासत संरक्षण से जुड़े लोग उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों ने समूहों में नाहरगढ़ कुंड-1 एवं आसपास के पार्किंग क्षेत्र में सफाई कार्य किया। अभियान के माध्यम से क्षेत्र से बड़ी मात्रा में कचरा हटाया। एफएचटीआर के अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह शाहपुरा ने कहा कि आज हमने इस बावाड़ी की सफाई का अभियान शुरू किया है। इसकी प्रेरणा हमें प्रधानमंत्री के 'जल गंगा अभियान' से मिली है। महासचिव तरुण कुमार बंसल ने कहा कि आज यहां एकत्र किए गए कचरे को देखकर दुख होता है कि हम अपने ही भव्य किलों और बावड़ियों को इस स्थिति में पहुंचा देते हैं। अभियान के दूसरे दिन 31 मई को प्रात: 6:45 बजे स्वागत एवं परिचय सत्र के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें अभियान एवं सहभागी संस्थाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके पश्चात वेस्ट मैनेजमेंट विषय पर जागरूकता सत्र आयोजित किया जाएगा। सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक नाहरगढ़ कुंड-2 एवं आसपास के क्षेत्रों में पुन: स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।

महिलाओं ने बनाई 500 सीड बॉल्स

जयपुर। श्याम नगर स्थित लैंडमार्क ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में शनिवार को सीड बॉल्स कार्यशाला आयोजित की गई। संस्थान की निदेशक कुलदीप शर्मा ने बताया यह पौधारोपण का एक प्राचीन और बेहद प्रभावशाली तरीका है। कार्यशाला में उपस्थित महिलाओं ने 500 सीड बॉल्स तैयार कर पर्यावरण संरक्षण की एक अनोखी मिसाल पेश की है। कार्यशाला में नीम की निमौली, पारिजात, पपीता, बील , शीशम, आम , जामुन, आमला आदि की सीड बॉल्स मुख्य रूप से बनाई गई। सक्षम संस्थान की तरफ से सचिव ईवादीप सक्सेना, लैंडमार्क ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से कुलदीप शर्मा ने सभी को किचिन वेस्ट की उपयोगिता तथा अपनी रसोई व आसपास के बीजों से सीड बॉल्स बनाने और उनकी उपयोगिता की जानकारी दी। पिछले साल विभिन्न संस्थाओं के सहयोग लगभग 8 हज़ार सीड्स बॉल्स बनाई गई थी। इस वर्ष 10 हज़ार सीड बॉल्स तैयार करने का लक्ष्य तय किया है। सक्षम संस्थान की सचिव ईवादीप ने बताया कि कई स्कूल, कॉलेज, किट्टी क्लब, महिलाओं के समूह इस मुहिम में साथ जुड़ रहे हैं। इस मौके के पर लिनेस क्लब की अध्यक्षा विमला शर्मा, कोषाध्यक्ष सुमन शर्मा, सलाहकार सुशीला जैन, संस्था की पूर्व अध्यक्ष रतन सोगानी एवं समाज सेवी कोमल मेठवानी, पर्यावरण प्रेमी सदस्या वीना जैन एवं सिम्मी जी, पिहू राजावत व कोमल गुप्ता ने कार्यशाला में भाग लिया। प्रारम्भ में लैंडमार्क के डाइरेक्टर रविंद्र शर्मा ने भाषण दिया।

हिंदी पत्रकारिता पर मंथन

जयपुर। जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (जार) की ओर से शनिवार को जयपुर स्थित रानी महल होटल में ''हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष : भविष्य एवं चुनौतियां'' विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों और मीडिया शिक्षाविदों ने हिंदी पत्रकारिता के दो सौ वर्षों के गौरवशाली इतिहास, वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने देश के सामाजिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन वर्तमान समय में बाजारवाद, सोशल मीडिया की प्रतिस्पर्धा, फेक न्यूज, पत्रकारों पर बढ़ते दबाव, पीत पत्रकारिता इसके सामने बड़ी चुनौतियां बनकर उभरे है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत, जेएनयू मीडिया स्कूल के निदेशक डॉ. मौलिक शाह, वरिष्ठ पत्रकार लल्लूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने विचार रखे। समारोह में स्वागत भाषण जार के प्रदेशाध्यक्ष संजय सैनी ने दिया।

82 हजार वाहन चालकों पर कार्रवाई

जयपुर। राजधानी में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ जयपुर यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर एक मई से शुरू किए गए अभियान के तहत अब तक 82 हजार 412 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। वहीं 100 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर और 600 से ज्यादा अवैध बुलगार्ड मौके पर ही हटाकर जब्त किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त (यातायात) योगेश गोयल ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर विशेष नाकाबंदी कर ब्लैक फिल्म, मॉडिफाइड साइलेंसर, ओवरस्पीड, ड्रंकन ड्राइविंग और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभियान के दौरान गंभीर श्रेणी के 40 हजार 718 मामलों में कार्रवाई की गई। इनमें 36 हजार 265 ओवरस्पीड वाहन, 3 हजार 289 ब्लैक फिल्म लगे वाहन, 663 अवैध बम्पर-बुलगार्ड वाले वाहन, 379 ड्रंकन ड्राइविंग के मामले तथा 122 मॉडिफाइड साइलेंसर वाली मोटरसाइकिलें शामिल हैं।

महिला ने परिचित युवक के प्राइवेट पार्ट और गले पर ब्लेड से वार किया

जयपुर (कासं)। राजधानी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने परिचित युवक पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए ब्लेड से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके प्राइवेट पार्ट और गले पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक का इलाज एसएमएस अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

पुलिस के अनुसार शनिवार शाम 33 वर्षीय महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देकर बताया कि एक युवक पानी पीने के बहाने उसके घर में घुस आया। महिला का आरोप है कि युवक ने उसे घर में अकेला पाकर जबरदस्ती की कोशिश की और दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने आत्मरक्षा में ब्लेड से हमला कर दिया।

- **घटना की जांच में जुटी पुलिस, दोनों पक्षों ने दर्ज कराए मुकदमे**

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां युवक महिला के घर में लहूलुहान हालत में मिला। उसके प्राइवेट पार्ट और गले पर ब्लेड से वार किए गए थे। पुलिस ने तत्काल उसे एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला और युवक वर्ष 2017 से एक-दूसरे के परिचित हैं। घटना के समय युवक महिला से मिलने उसके घर आया था। महिला का कहना है कि उसने खुद को बचाने के लिए यह कदम उठाया।

दूसरी ओर, अस्पताल में भर्ती युवक ने महिला पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि युवक की करीब एक माह पहले ही शादी हुई थी।

पुलिस ने महिला की शिकायत पर दुष्कर्म के प्रयास तथा युवक की शिकायत पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। मामले में दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां और जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

होटल पर फायरिंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

जयपुर। आमेर रोड स्थित होटल माउंट व्यू पर फायरिंग की सनसनीखेज वारदात के मास्टरमाइंड और 10 हजार रुपए के इनामी बदमाश पुष्पेन्द्र सिंह उर्फ जोनी को ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने होटल में पेमेंट विवाद के बाद रंजिश रखते हुए दो शूटरों को हथियार उपलब्ध कराकर होटल पर फायरिंग करवाई थी। पुलिस इस मामले में फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

पुलिस उपायुक्त (जयपुर उत्तर) करन शर्मा ने बताया कि 22 मई 2026 को होटल संचालक मनोज कुमार ने होटल पर फायरिंग किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में ब्रह्मपुरी थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच में सामने आया कि 20 मई को आरोपी जोनी के एक रिश्तेदार का होटल के बार में पेमेंट को लेकर स्टाफ से विवाद हो गया था। इसी बात से नाराज होकर जोनी ने अगले दिन 21 मई की रात करीब 10 बजे अपने साथियों गौतम सैन उर्फ गट्टू और रहीस को अवैध हथियार और कारतूस उपलब्ध कराए तथा मोटरसाइकिल से होटल भेजकर फायरिंग करवाई। पुलिस के अनुसार फायरिंग का उद्देश्य होटल संचालक को जान से मारना था।

इस वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गौतम सैन उर्फ गट्टू और रहीस को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद कर ली थी। हालांकि मुख्य आरोपी जोनी फरार हो गया था, जिस पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नीरज पाठक और सहायक पुलिस आयुक्त (आमेर) सुरेन्द्र सिंह राणावत के निर्देशन में ब्रह्मपुरी थानाधिकारी हेमन्त जनागल के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी जोनी पहले से एक हत्या के मामले में जमानत पर चल रहा था। जमानत अवधि के दौरान ही उसने फायरिंग की साजिश रची। पुलिस अब जमानत की शर्तों के उल्लंघन को लेकर भी कानूनी कार्रवाई करेगी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल देशी कट्टा और कारतूस उसने भरतपुर निवासी अनिल कुमार उर्फ डूंगर सिंह जाट से खरीदे थे। पुलिस ने बताया कि अनिल कुमार को पहले ही एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाकर हथियार तस्करी नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तार आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह उर्फ जोनी (25) मूल रूप से अलवर जिले के गंज खेड़ली थाना क्षेत्र के कालवाड़ी सालवाड़ी गांव का निवासी है और वर्तमान में आमेर रोड स्थित कागदीवाड़ा में रह रहा था। उसके खिलाफ वर्ष 2020 से 2024 के बीच मारपीट, आर्म्स एक्ट और हत्या सहित पांच गंभीर मामले दर्ज हैं।

'भारत में हर वर्ष 1.43 लाख लोग मुंह के कैंसर से प्रभावित, तंबाकू बड़ा कारण'

जयपुर। तंबाकू का बढ़ता सेवन विशेष रूप से युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इसके परिणामस्वरूप कैंसर के मामलों में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के वरिष्ठ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की ग्लोबोकैन 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में कैंसर के 14.13 लाख नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 9.16 लाख लोगों की कैंसर से मृत्यु हुई। इनमें मुख एवं ओरल कैविटी कैंसर देश का दूसरा सबसे सामान्य कैंसर रहा, जिसके 1,43,759 नए मामले सामने आए तथा लगभग 79,979 लोगों की मृत्यु हुई।

डॉ. गुप्ता ने बताया कि तंबाकू केवल मुख कैंसर ही नहीं, बल्कि फेफड़े, गला, भोजन नली, स्वरयंत्र, मूत्राशय और अन्य कई प्रकार के कैंसर का प्रमुख कारण है। ग्लोबोकैन रिपोर्ट के अनुसार भारत में फेफड़ों के कैंसर के 81,748 तथा भोजन नली के कैंसर के 70,637 नए मामले दर्ज किए गए, जिनका तंबाकू सेवन से सीधा संबंध है। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. नरेश जाखोटिया ने बताया कि लगभग एक-तिहाई कैंसर मामलों को केवल तंबाकू से दूरी बनाकर रोका जा सकता है। तंबाकू छोड़ने के कुछ वर्षों बाद ही कैंसर और हृदय रोगों का जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है। डॉ. जाखोटिया ने बताया कि अस्पताल की कैंसर रजिस्ट्री में वर्ष 2025 के दौरान 15 हजार 116 नए मरीज दर्ज किए गए, जिनमें 26 प्रतिशत से अधिक मरीज मुंह एवं गले के कैंसर से प्रभावित थे। चिकित्सालय के डायरेक्टर क्लिनिकल सर्विसेज डॉ. एस.सी. काबरा ने कहा कि कैंसर रजिस्ट्री के ये आंकड़े राजस्थान में कैंसर के बदलते स्वरूप और तंबाकू से जुड़े कैंसरों के बढ़ते बोझ को दर्शाते हैं। यह स्थिति जनजागरूकता और समय पर जांच की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

डॉ. नरेश जाखोटिया ने बताया कि गुटखा, खैनी और अन्य धुएं रहित तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वालों में मुंह के कैंसर का खतरा सबसे अधिक होता है।